

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग-6

क्र. सं. :- ५० ॥ ११ ॥ राज-6/2004 / 22

जयपुर, दिनांक :- १०/१२/२००४

समस्त संभारगीय आयुक्त, राजस्थान
समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान

परिपत्र

विषय :- औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित राजकीय भूमियों के स्थानान्तरण के संबंध में।

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र ५० ॥ ११ ॥ राज-6/2004 दिनांक 15.7.04 के अतिरिक्त में निर्देश जारी किये जाते हैं कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित राजकीय भूमि में एक का स्थानान्तरण राजस्थान भू-राजस्व औद्योगिक क्षेत्र आक्ट 1959 के विभाग 9 के प्रथम परन्तुक के अनुसार ही होगा। इस संबंध में निम्न बिन्दु भी स्पष्ट विवेचनीय हैं-

1. विभाग 9 के परन्तुक के अनुसार विशुद्ध औद्योगिक क्लॉर्ड की सम्पूर्ण भूमि का ही हो सकता है उसके किसी भी हिस्से पर नहीं।
2. वित्तीय संस्थायें/क्रेडिट ग्रुप के चुक्ता नहीं करने की एजेंडा में विधानानुसार औद्योगिक क्लॉर्ड का नीलापनी द्वारा विक्रय पर सक्षम है।
3. नीलापनी में औद्योगिक क्लॉर्ड का क्रेडिट ग्रुप आर्टीकल के अधीन की गई लीज शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।
4. नीलापनी में औद्योगिक क्लॉर्ड की प्रोविजन के तहत क्रेडिट ग्रुप के हक में, मूल आवंटन द्वारा प्रयोग की गई लीज अधिधिकारी को उसी ही शीज अधिधिकारी के लिए, लीज जारी की जायेगी।
5. यदि मूल आवंटन के तहत करने वाली वित्तीय संस्था या क्रेडिट ग्रुप द्वारा मूल आवंटन शर्तों अथवा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य सरकार भूमि विभाग जिला न्यायाधीश के वापस ले लेगी।


उप सहायक सचिव

प्रतिनिधि निम्न की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. निवायुक्त, राजस्थान, जयपुर।

2. समस्त विभाग, राजस्थान


उप सहायक सचिव